



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 195 राँची, गुरुवार,	26 चैत्र, 1948 (श०)
	16 अप्रैल, 2026 (ई०)

जल संसाधन विभाग

संकल्प

23 मार्च, 2026

सं.स- 01/स्था.(कोर्टकेस) 04-22 / 2023 -1409--

विषय:- श्री बीरा राम,सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख- II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता एवं अभियंता प्रमुख के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान के संबंध में।

श्री बीरा राम, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख- II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता एवं अभियंता प्रमुख के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन के अन्तर राशि का भुगतान एवं पेंशन पुनरीक्षण हेतु माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में WP (S) No.- 6704 /2023 बीरा राम बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया ।

2. माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा WP (S) No.-6704 /2023 में दिनांक 04.09.2024 को निम्न न्याय निर्णय पारित किया गया :-

“15. Having regard to the aforesaid discussion, so far as 1st grievance of the petitioner is concerned; he would be entitled for full salary for the respective post and the differential salary shall be paid to him. Thus, 1st issue goes in favour of this petitioner.

16. However, the stand of the State counsel with regard to laches will certainly apply in the 2nd issue i.e. in case of the punishment order imposed upon the petitioner in the year 2007. The petitioner really slept over the matter and knocked the door of this Court after almost 15 years; as such, this Court is of the opinion that for such act, he is not entitled for full salary for the suspension period. Further, there is no document or specific representation has been demonstrated by learned counsel for the petitioner in order to show that immediately, after such order, he has represented the department for such relief; as such, he is not entitled for full salary for the period of suspension. Accordingly, the 2nd issue goes against the petitioner.

17. Accordingly, the concerned respondent is directed to make calculation of amount payable to the petitioner in the light of observation made herein above. As stated hereinabove, the petitioner would be entitled for full salary for the respective post as such, the concerned respondent is directed to calculate the differential salary i.e. the difference of salary for the period from 28.03.2003 to 02.08.2008 in pay-scale of Superintending Engineer when the petitioner was working in the capacity of Superintending Engineer, but receiving the salary in the pay-scale of Executive Engineer, and also difference of salary in the payscale of Chief Engineer from 30.07.2008 to 06.07.2010 and Engineer-in-Chief from 07.07.2010 to 31.01.2013, as the petitioner was working in the capacity of Chief Engineer and Engineer-in-Chief, respectively, but receiving the salary of Executive Engineer. It is made clear that the entire exercise shall be completed within a period of twelve weeks from the date of receipt/production of copy of this order.

18. As a result, the instant writ application stands partly allowed in the manner indicated hereinabove.”

3. उक्त पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में LPA Filing No. 2947/2025 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम बीरा राम दायर किया गया है। उक्त LPA माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
4. श्री बीरा राम अपने ही वेतन मानमें स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत दिनांक 28.03.2003 से 02.08.2008 तक अधीक्षण अभियंता, दिनांक 30.07.2008 से 06.07.2010 तक मुख्य अभियंता एवं दिनांक 07.07.2010 से 31.01.2013 तक अभियंता प्रमुख II, के पद पर कार्यरत रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त न्याय निर्णय के आलोक में श्री बीरा राम को उनके द्वारा धारित उच्चतर पद के वेतन के अन्तर राशि का भुगतान किया जाना है।

5. उच्चतर पद पर स्वतंत्र चालू प्रभार में कार्य करने के एवज में किसी अतिरिक्त वेतन/भत्ता के भुगतान के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है। सेवा संहिता के नियम-58 एवं वित्तीय नियमावली के नियम-74 के आलोक में पद ग्रहण की तिथि से संबंधित Substantive पद का वेतन एवं भत्ता पद धारक को देय होता है। परन्तु माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 04.09.2024 का अनुपालन विभाग हेतु बाध्यकारी है।
6. यह मामला स्थापित वित्तीय नियमों के संगत नहीं है। साथ ही इस संबंध में राज्य सरकार अन्तर्गत कोई विशिष्ट नियम प्रवृत्त नहीं है।
7. अतएव, उपरोक्त वर्णित स्थिति में WP (S) No.-6704/ 2023 में दिनांक 04.09.2024 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन हेतु महालेखाकार कार्यालय से वेतन पर्ची निर्गत होने के उपरान्त श्री बीरा राम को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत दिनांक 28.03.2003 से 02.08.2008 तक अधीक्षण अभियंता, दिनांक 30.07.2008 से 06.07.2010 तक मुख्य अभियंता एवं दिनांक 07.07.2010 से 31.01.2013 तक अभियंता प्रमुख-II के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन के अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि विषय गत मामले में दायर LPA Filing No. 2947/ 2025 में पारित अंतिम न्याय निर्णय से यह अनुपालन आच्छादित होगा।
8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद्, झारखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 12.03.2026 की बैठक के मद संख्या-33 में स्वीकृति दी गयी है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रशांत कुमार)

सरकार के सचिव।
